भारत सरकार /Government of India

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय /Ministry of Health and Family Welfare

अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान

ALL INDIA INSTITUTE OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION

हाजी अली पार्क, केशवराव खाड्ये मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई- 400 034-

Haji Ali Park, K. Khadye Marg, Mahalaxmi, Mumbai – 400 34.

Tel. No.:022- 23544341/2. Fax No.022-23532737

www.aiipmr.gov.in

विवरण पत्रिका -2020

1.**मास्टर ऑफ फिजिओथेरेपी**

2.**मास्टर ऑफ ऑक्युपेशनल थेरेपी**

3.**फेलोशिप पाठ्यक्रम इन रिहेबिलिटेशन फिजिओथेरेपी**

4.**फेलोशिप पाठ्यक्रम इन रिहेबिलिटेशन ऑक्युपेशनल थेरेपी**

Prospectus-2020

1. Master of Physiotherapy (MPT)

2. Master of Occupational Therapy (MOT)

3. Fellowship Course in Rehabilitation Physiotherapy (FCRPT)

4. Fellowship Course in Rehabilitation Occupational Therapy (FCROT)

संदेशः 1955 में स्थापित यह संस्थान भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक सर्वोच्च संस्थान है। देश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ विदेशों से आनेवाले गतिशिलता से संबंधी विकलांग व्यक्ति के प्रति व्यापक चिकित्सकीय पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए इस अद्वितिय संस्थान को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है।

भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास (पी.एम.आर.) चिकित्सा संबंधी विज्ञान की एक वैचारिक और दार्शनिक रुप से सशक्त शाखा है जिसका किसी व्यक्ति के भौतिक रुप से क्षतिग्रस्त हो जाने पर, क्रियात्मक प्रतिबंधन हो जाने पर या अपने जीवन की योजना और इच्छाओं पर आधारित अपनी पूर्ण क्रियात्मक क्षमता के अनुसार भागीदारी करने में प्रतिबंध हो जाने पर मुख्यतः उसका पुनर्वास करने का ध्येय है। इसके लिए कई संबंधित तत्सम चिकित्सा विशिष्ट विषयों जैसे भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, चिकित्सा सामाजिक कार्य, व्यावसायिक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण, नर्सिंग पुनर्वास, श्रवण एवं वाक् भाषा, विकृति विज्ञान इत्यादि का पुनर्वास की एक ही छत के नीचे समाकलित रुप से कार्य करना आवश्यक हो जाता है।

हमारे देश में अधिकाधिक संख्या में प्रशिक्षित और समर्पित सहयोगी चिकित्सा कार्मिकों की तत्काल आवश्यकता है और कई नए पुनर्वास केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं।

जो छात्र इस संस्थान में इन क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहते है, उन्हें उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा ताकि वे अपनी चिकित्सा की शाखा में उचित रुप से कार्य कर सकें, सभी आयु वर्ग के लोगों के पुनर्वास संबंधी मामलों को संचालित कर सकें और ऐसा करते समय वे नीतिपरक पहलुओं को एवं साक्ष्यों पर आधारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रख सकें और सर्वोपरि वे पुनर्वास टीम के एक अमुल्य सदस्य बन सकें।

मैं हर एक छात्र का अभिनंदन करता हूँ और कामना करता हूँ कि ज्ञान की खोज में आप
सफल हों एवं आप अपना एक समृद्ध करियर बना सकें।

Director, AIIPMR

विषय – वस्तु

विशिष्टियाँ	पृष्ठ संख्या
कवर पृष्ठ	1
निदेशक का संदेश	2
विषय-वस्तु	3
संस्थान के संबंध में	4-6
सामान्य जानकारी	6
पात्रता	7
विवरण पत्रिका और आवेदन प्रपत्र फीस	7-8
आवेदन प्रपत्र जमा करना	8
प्रवेश पत्र	9
आवश्यक प्रमाण -पत्र / दस्तावेज	9-10
प्रवेश परीक्षा की जानकारी	10-12
प्रवेश परीक्षा की योजना	10-11
प्रवेश परीक्षा की महत्त्वपूर्ण जानकारी	11-12
फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर (मास्टर)और व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर (मास्टर) पाठ्यक्रमों के फीस की जानकारी	12-13
फिजियोथेरेपी पुनर्वास में फैलोशिप पाठ्यक्रम (FCRPT) और व्यावसायिक चिकित्सा पुनर्वास में फैलोशिप पाठ्यक्रम (FCROT) के फीस की बारे में जानकारी	13
छात्रावास की जानकारी	14
व्यवहार एवं अनुशासन	14
फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर (मास्टर)और व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर (मास्टर) पाठ्यक्रमों की जानकारी	15-16
फिजियोथेरेपी पुनर्वास में फैलोशिप पाठ्यक्रम (FCRPT) और व्यावसायिक चिकित्सा पुनर्वास में फैलोशिप पाठ्यक्रम (FCROT) के बारे में जानकारी	16-17
प्रासंगिक संपर्क विवरण	18
प्रवेश परीक्षा / प्रवेश की समय सारणी	19
भारत सरकार के कोटे के अधीन आवेदन के ओबीसी प्रमाण-पत्र का प्रारुप	20
राज्य के जारी न करने पर जाति वैधता प्रमाण-पत्र का प्रारुप	21
पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन प्रपत्र एवं प्रवेश पत्र हेतु एडमिट कार्ड	अलग से संलग्न है
प्रवेश के समय विवरण-पत्रिका में उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित फॉर्म जमा करने होंगे। पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए आवेदन प्रपत्र एंटी-रैगिंग घोषणा प्रपत्र पहचान कार्ड के लिए आवेदन प्रपत्र हॉस्टेल आवास हेतु आवेदन प्रपत्र	संस्थान की वेबसाइट - www.aiipmr.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते है।
सरसरी तौर पर प्रक्रिया	22

अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान

यह संस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन देश का एक अग्रणी संस्थान है, जो एक ही छत के नीचे व्यापक चिकित्सकीय पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करता है, विभिन्न चिकित्सकों और तत्सम स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है और शोध कार्य भी करता है।

यह संस्थान सुसज्जित पुनर्वास केंद्रों में से एक है जिसमें मुख्य ब्लॉक के अंदर ओपीडी कॉम्प्लेक्स, 'स्टेट ऑफ आर्ट' ऑपरेशन थिएटर और एक पोस्ट- ऑपरेटिव रिकवरी रुम, हाई टेक प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स संरचना विभाग,छात्रावास और गेस्ट रुम स्थित है।

दो अन्य ब्लॉक में चिकित्सा पुनर्वास विभाग स्थित है जिसमें विकृति विज्ञान और विकिरण विभाग , 55 बेड की अंतरंग रोगी सुविधा, पुनर्वास चिकित्सा विभाग सम्मिलित है जिसमें उन्नत व्यावसायिक चिकित्सा सेवाएं जैसे व्हिलचेयर और भौतिक रुप से स्थानांतरण, ड्रायविंग का आकलन और कार्य के कठोरीकरण की सुविधा उन्नत भौतिक चिकित्सा सेवाएं जिसमें तुलन का आकलन और प्रशिक्षण इकाई, गेट एवं मोशन आकलन लैब, वाक् मार्गदर्शन चिकित्सा, चिकित्सा सामाजिक कार्य, व्यावसायिक मार्गदर्शन, व्यावसायिक प्रशिक्षण विभाग एवं शैक्षणिक अनुभाग और इंटरनेट सुविधा के साथ लैस लाइब्रेरी के साथ प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स कार्यशाला भी शामिल है।

संस्थान पुनर्वास के क्षेत्र में सेवाएँ और प्रशिक्षण प्रदान करने एवं शोध कार्य का संचालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। भविष्य – निरुपण(vision) -गतिशीलता संबंधी विकलांगता से ग्रस्त हर व्यक्ति की क्षमता को यथार्थ बनाना जिससे उसको समाज में समान अवसर प्राप्त हों, उसके अधिकारों की रक्षा हो सके और उसकी पूर्ण भागीदारी हो सके।

लक्ष्य- गतिशिलता संबंधी विकलांग लोगों की चिकित्सकीय आवश्यक्ताओं से भी अधिक गुणवत्ता की मध्यस्थताओं का प्रयोग कर उन्हें अनुकूलता से सक्षम बनाना ताकि वे सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें, पुनर्वास पेशावरों का प्रशिक्षण करना एवं शोध कार्य करना।

संस्थान के उद्देश्य-

- चिरकालिक विकारों के साथ न्युरो-मस्कूलोस्केलेटल विकारों के सभी वर्गों के लिए व्यापक चिकित्सकीय पुनर्वास सेवाएँ बनाना एवं प्रदान करना।
- विकलांगता निवारण और पुनर्वास पर अधिक जोर देते हुए अंतर-विषय अभिगम (इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच) द्वारा सेवाएँ बनाना और प्रदान करना।
- अल्पकालिक अभिमुखीकरण पाठ्यक्रमों और दीर्घकालिक स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों द्वारा पुनर्वास पेशावरों को प्रशिक्षण देना।
- सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करना।
- कृत्रिम अंगो और ऑर्थोसिस (मानव शरीर के बाह्य समर्थक अंग) की संरचना करना और उनको जोडना।
- भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास के क्षेत्र में शोध कार्य संचालित करना।
- सरकार और गैर सरकारी संघटनों को सहयोग देना और उनके साथ समन्वय करना ताकि समय – समय पर पुनर्वास सेवाओं की उन्नति और अनुश्रवण को सूत्रबद्ध करने के लिए परामर्शी सेवाएँ दी जा सकें।

विभाग:-

1. **चिकित्सा पुनर्वास:**

- भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास (पीएमआर)
- नर्सिंग
- विकिरण विज्ञान
- विकृति विज्ञान
- भौतिक चिकित्सा
- व्यावसायिक चिकित्सा
- वाक् और श्रवण विज्ञान

2) **पुनर्वास अभियांत्रिकी**:-

- प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स (कार्यशाला के साथ)
- बायोमेडिकल अभियांत्रिकी

3) **सामाजिक पुनर्वास**:-

- चिकित्सा समाज कार्य
- व्यावसायिक मार्गदर्शन
- व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यशाला

4) **सहायक सेवाएँ:-**

- प्रशासन
- लेखा
- शैक्षणिक अनुभाग
- लाइब्रेरी
- फोटोग्राफी
- हिंदी विभाग
- सम्मेलन कक्ष सुविधा (दृश्य- श्रव्य व्यवस्थापन के साथ)
- छात्रावास
- खेल एवं मनोरंजन सुविधा

शैक्षणिकः-

स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर कई, डिग्री डिप्लोमा और फेलोशिप पाठ्यक्रमों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं, जो महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक से संबंधित होते हैं।

इस संस्थान में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैः-

क्रम संख्या	पाठ्यक्रमों के नाम	अवधि
1	एम.डी (भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास)	3 साल
2	भौतिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर	2 साल
3	भौतिक चिकित्सा पुनर्वास में फेलोशिप पाठ्यक्रम	1 साल
4	व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर	3 साल
5	व्यावसायिक चिकित्सा पुनर्वास में फेलोशिप पाठ्यक्रम	1 साल
6	प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स में स्नातकोत्तर	2 साल
7	प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स में स्नातक	4 ½ साल(6 माह की अनिवार्य इंटर्नशीप को सम्मिलित करते हुए)
8	श्रवण, भाषा एवं वाक में डिप्लोमा	11 महीने

- यह पाठ्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली से सम्बध्दित है, एवं भारतीय पुनर्वास परिषद की ओर से अली यावर जंग, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई परीक्षा का संचालन करता है।
- यह संस्थान डब्ल्यू.एच.ओ. (विश्व स्वास्थ्य संगठन) द्वारा संपूर्ण विश्व से नामित विशेषज्ञों को फेलोशिप कार्यक्रमों के अंतर्गत फेलोशिप और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करता है।

सामान्य जानकारी:-

1. **पाठ्यक्रम सम्बद्धता**- महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ (एमयूएचएस, नाशिक से)
2. **मान्यता** – महाराष्ट्र व्यावसायिक चिकित्सा / फिजियोथेरपी परिषद, मुंबई।
3. **आरक्षण-**
   - 3.1 भारत सरकार के संस्थानों में प्रचलित शर्तों / उपबंधों/ व्यवस्थाओं के अनुसार और समय- समय पर किये जाने वाले उनके संशोधनों के अनुसार आरक्षण किया जाएगा।
   - 3.2 ओ.बी.सी आरक्षण, "ओबीसी की केंद्रीय सूची" के अनुसार किया जाएगा।
   - 3.3 विकलांग/ दिव्यांग अभ्यर्थी की योग्यता संस्थान के मेडीकल बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी।
4. **पठन की भाषाः**- इंग्लिश (इंग्लिश भाषा की अच्छी जानकारी, मेडिकल और तकनिकी शब्दावलियों को समझने हेतु अपेक्षित है।

5) पात्रता:

5.1 जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजियोथेरेपी में स्नातक की डिग्री धारण की है और साथ में छह महीने की अनिवार्य इंटर्नशिप पूरी की है, उन फिजियोथेरेपिस्टों के लिए स्नातकोत्तर फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम खुला है।

5.2 जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजियोथेरेपी में स्नातक की डिग्री धारण की है और साथ में छह महीने की अनिवार्य इंटर्नशिप पूरी की है, उन फिजियोथेरपिस्टों के लिए पुनर्वास फिजियोथेरेपी में फैलोशिप पाठ्यक्रम खुला है।

5.3 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातक की डिग्री धारित व्यावसायिक चिकित्सकों के लिए और साथ में छह महीने की अनिवार्य इंटर्नशिप पूरी की हैं, उनके लिए व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम खुला है।

5.4 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातक की डिग्री धारित व्यावसायिक चिकित्सकों के लिए और साथ में छह महीने की अनिवार्य इंटर्नशिप पूरी की हैं, उनके लिए व्यावसायिक चिकित्सा पुनर्वास में फैलोशिप पाठ्यक्रम खुला है।

5.5 जिन छात्रों ने कृषि विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा से स्नातक की डिग्री ली है, वे डीएमइआर (DMER) / एमयूएचएस (MUHS) के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र नहीं हैं।

5.6 अभ्यर्थियों को इस संस्थान द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए संचालित प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित रहना होगा । प्रवेश परीक्षा के परिणाम के अनुसार, मेरिट के अनुसार सीटें आवंटित की जाएंगी।

5.7 अभ्यर्थी को महाराष्ट्र राज्य व्यावसायिक चिकित्सा तथा फिजियोथेरपी काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए और अनिवार्य रूप से स्नातकोत्तर (मास्टर) के साथ-साथ फैलोशिप पाठ्यक्रमों के लिए वैध पंजीकरण प्रमाण प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा। महाराष्ट्र के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए विश्वविद्यालय को विलंब फीस का भुगतान करने के साथ, इसे प्राप्त करने का भी समय दिया जाएगा।

5.**8 इंटर्नशिप समाप्त होने की तारीख 31/10/2020 को या उससे पहले।**

5.9 अभ्यर्थी का भारत का नागरीक होना आवश्यक है।

5.10 **पाठ्यक्रम के लिए प्रवेशित अभ्यर्थियों की योग्यता/ अर्हता, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक द्वारा प्रदान की जाएगी और इसके लिए यह संस्थान उत्तरदायी नहीं है। प्रवेश के समय संस्थान इस बात का आश्वासन नहीं देता कि अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय योग्यता / अर्हता प्रदान कर ही देगा।**

6. विवरण पत्रिका और आवेदन प्रपत्र:

6.1 विवरण पत्रिका और आवेदन प्रपत्र को संस्थान की वेबसाइट www.aiipmr.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। विधिवत भरा हुआ आवेदन प्रपत्र , आवेदन प्रपत्र फीस के साथ संस्थान को अग्रेषित किया जा सकता है।

6.2 आवेदन प्रपत्र सभी पाठ्यक्रमों अर्थात फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर (मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी), पुनर्वास फिजियोथेरेपी में फेलोशिप पाठ्यक्रम, व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर और व्यावसायिक चिकित्सा पुनर्वास में फैलोशिप पाठ्यक्रम के लिए समान है। अभ्यर्थियों को आवेदन प्रपत्र भरते समय उपयुक्त बॉक्स में 'हां' अंकित करना चाहिए।

7. आवेदन प्रपत्र फीस:

7.1 प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन प्रपत्र का फीस रु.650 / - है जिसका भुगतान आवेदन प्रपत्र के साथ करना है।

7.2 अनुसूचित जाति (एससी)/ अनुसूचित जन जाति (एसटी)/ शारीरिक विकलांग (पीएच) अभ्यर्थियों के लिए आवेदन फीस में 550/- रु. की रियायत दी गयी है।

7.3 यदि कोई अभ्यर्थी दो पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करना चाहता है तो (अर्थात स्नातकोत्तर (मास्टर) और फैलोशिप पाठ्यक्रम) 'आवेदन प्रपत्र' फीस के लिए भुगतान की जाने वाली कुल राशि इस प्रकार है:

- सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को लिए -रु. 1150/-
- अनुसूचित जाति (एससी)/ अनुसूचित जन जाति (एसटी)/ शारीरिक विकलांग (पीएच) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए- रु. 950/-

7.4 अभ्यर्थियों को अपने आवेदन प्रपत्र में आरक्षित वर्गो से होने का दावा करना चाहिए ऐसा न होने पर बाद में इस तरह के दावे पर कोई विचार नहीं किया जाएगा । इन अभ्यर्थियों को तत्संबंधित प्रमाणपत्रों [जाति प्रमाण-पत्र / जाति विधिमान्यता प्रमाण-पत्र/ ओबीसी (विधिमान्य नॉन- क्रिमी लेयर प्रमाण-पत्र जो पिछले वित्तीय वर्ष से 31.3.2021 तक विधिमान्य हो) /विकलांगता प्रमाण-पत्र] की स्व-अनुप्रमाणित / प्रमाणित कॉपियाँ या घोषणा, क्रमश: आवेदन करने के प्रमाण के साथ,जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये हों, आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।

7.5 अगर जाति विधिमान्यता प्रमाण-पत्र किसी विशिष्ट राज्य द्वारा जारी नहीं किया जाता तो उन्हें संलग्नक- II के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

7.6 डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के पीछे अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर के साथ उसका का नाम और पाठ्यक्रम का नाम लिखें।

7.7 आवेदक को भावी संदर्भ के लिए अपने पास डिमांड ड्राफ्ट की एक फोटोकॉपी रखनी चाहिए।

7.8 आवेदन प्रपत्र फीस किसी भी स्थिति में लौटायी/ स्थानांतरित नहीं की जाएगी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किए गए नुसार आवेदन प्रपत्र भेजते समय आवेदन फीस जमा करनी होगी।

* सभी भुगतान डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के रुप में प्राप्त किये जाएंगे जो 'निदेशक, अ.भा.भौ.चि.पु.सं.' के नाम केवल राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किये गए हों और मुंबई में देय हों। किसी अन्य तरीके से किया गया भुगतान अस्वीकार किया जाएगा।

8. आवेदन प्रपत्र जमा करना:

8.1 विधिवत भरा हुआ आवेदन प्रपत्र और प्रवेश पत्र (ड्यूप्लिकेट में), आवेदन प्रपत्र फीस के साथ दूसरी मंजिल स्थित कमरा संख्या 201 , में कार्यालय समय में (सोमवार-शुक्रवार सुबह 9.00 बजे से शाम-4.00 बजे, शनिवार- सुबह 9.00 से दोपहर 12.30 बजे तक) जमा कर सकते हैं या संस्थान के पते पर पोस्ट द्वारा 20/12/ 2020 को या उससे पहले भेज सकते हैं।

8.2 अभ्यर्थियों को 23cms × 11.5cms आकार का लिफाफा जिस पर 60/-रुपये का पोस्टेज स्टैंप चिपका हो, जिसपर अपना पता लिखा हो और जिसके ऊपर **प्रवेश पत्र** (पाठ्यक्रम का नाम) **लिखा हो उसे आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।**

8.3 आवेदन प्रपत्र और प्रवेश पत्र पर फोटो समान होनी चाहिए और पिछले 6 महीनों के अंदर खिंची होनी चाहिए।

8.4 पूरा पत्र-व्यवहार उसी पते पर होगा जो आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र पर दिया गया है।

8.5 व्यक्तिगत रुप से फॉर्म जमा करने पर और यदि अभ्यर्थी को आवेदन प्रपत्र जमा करने की पावती चाहिए तो उस भरे हुए आवेदन प्रपत्र की एक फोटोकॉपी लानी होगी जिस पर अभिस्वीकृति दी जाएगी।

8.6 अधूरा आवेदन प्रपत्र / आवेदन प्रपत्र की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक बार भुगतान की गयी फीस किसी भी स्थिति में अप्रतिदेय / अनंतरणीय होगी एवं इस संबंध में कोई भी संप्रेषण / पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा। विधिवत रूप से भरे गए आवेदन प्रपत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि अनुबंध- I में उल्लिखित है।

9 प्रवेश पत्र :

9.1 एडमिट कार्ड आवेदकों को पोस्ट द्वारा भेजे जाएंगे जो प्रवेश परीक्षा के लगभग 10 दिन पहले प्राप्त होंगे। अभ्यर्थियों को 23 सेमी x 11.5 सेमी का एक लिफाफा जिस पर अपना पूरा पता लिखा हो, उस लिफाफे पर 60/- रुपये का पोस्टेज स्टॅम्प लगाना है और उस पर (पाठ्यक्रम का नाम) के लिए प्रवेश पत्र लिखकर आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करके भेजना होगा ।

9.2 एडमिट कार्ड की न प्राप्ति या प्राप्ति में देरी होने की स्थिति में अभ्यर्थी डिमांड ड्राफ्ट की फोटोकॉपी देकर प्रवेश परीक्षा के दिन परीक्षा स्थल पर ड्यूप्लिकेट एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकता है।

9.3 अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए अपना खर्च खुद उठाना होगा और मुंबई में अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इस संबंध में कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा।

10 भारत सरकार के संस्थानों में प्रचलित शर्तों / प्रावधानों / व्यवस्थाओं के अनुसार और समय- समय पर किये जाने वाले उनके संशोधनों के अनुसार आरक्षण किया जाएगा। वर्तमान वर्ष के लिए सीटों का श्रेणीवार आवंटन का उल्लेख किया गया है।
विकलांग अभ्यर्थियों की योग्यता का निर्णय संस्थान के मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

11 इस संस्थान द्वारा संचालित किए गए किसी भी पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति स्वीकार्य नहीं है।

12 प्रवेश के समय आवश्यक प्रमाण पत्र:

प्रवेश के समय अभ्यर्थी को (अलग पारदर्शी प्लास्टिक फोल्डर में) निम्नलिखित प्रमाणपत्रों/ दस्तावेजों की अनुप्रमाणित फोटोकॉपियों का एक सेट और बिना अनुप्रमाणित फोटोकॉपियों का एक सेट (कुल दो सेट) के साथ उनकी मूल प्रतियाँ भी जमा करनी होंगी।

(क) जिला मैजिस्ट्रेट /अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/ मुख्य महानगर मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी राष्ट्रीयता प्रमाण-पत्र या (ख) विधिमान्य पासपोर्ट की फोटोकॉपी या (ग) अधिवासी प्रमाण-पत्र या (घ) जन्म प्रमाण-पत्र जिस पर राष्ट्रीयता- "भारतीय" पृष्ठांकित होनी चाहिए।

12.1 प्रवेश परीक्षा (C.E.T.) मार्क-शीट।

12.2 आधार कार्ड की फोटोकॉपी।

12.3 अर्हक परीक्षा के उत्तीर्ण / डिग्री प्रमाण पत्र।

12.4 इंटर्नशिप समाप्ति प्रमाण-पत्र। (इंटर्नशिप को **31/10/2020** को या उससे पहले पूरा किया हो)

12.5 महाराष्ट्र राज्य ओटी / पीटी परिषद से विधिमान्य पंजीकरण प्रमाण-पत्र। (महाराष्ट्र राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को विधिमान्य पंजीकरण प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए समय दिया जाएगा। अभ्यर्थी ऐसे मामले में विश्वविद्यालय को देर से फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा)

12.6 जिन अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन फॉर्म में आरक्षित वर्गों (अनुसूचित जाति (एससी) /अनुसूचित जन जाति (एसटी) / अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी)/ शारीरिक विकलांग (पीएच)) से होने का दावा किया था, उन्हें तत्संबंधी प्रमाण पत्रों (जाति प्रमाण-पत्र / विधिमान्य जाति प्रमाण-पत्र/ विवरण पत्रिका के साथ निर्धारित प्रारूप **में** अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) प्रमाण-पत्र /विधिमान्य नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र/ विकलांगता प्रमाण-पत्र) क्रमशः उनकी प्रमाणित प्रतियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उनकी मूल प्रतियों के साथ अनिवार्य रुप से जमा करना होगा। ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और वह 31 मार्च 2021 तक मान्य होना चाहिए। ओबीसी जाति प्रमाणपत्र का प्रारूप अनुबंध – II के अनुसार है। (जिन अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है, उन्हें उसका साक्ष्य मूल रुप में देना होगा और यह घोषणा करनी होगी कि यदि नामांकन एवं पात्रता फॉर्म को विश्वविद्यालय को जमा करने से पहले अगर मूल रुप में साक्ष्य जमा नहीं किया गया तो अभ्यर्थी का प्रवेश रद्द किया जाएगा।)

नोट:- यदि किसी विशिष्ट राज्य द्वारा विधिमान्यता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता तो उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा- संलग्नक III के अनुसार

12.7 कॉलेज छोड़ने का प्रमाण प्रपत्र (ट्रान्सफर /लीविंग प्रमाण- पत्र) / कॉलेज प्राधिकरण द्वारा निरंतरता पत्र।

12.8 संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्रयास प्रमाण पत्र।

12.9 नाम में बदलाव की हुई राजपत्र की प्रति (यदि लागू हो)।

12.10 संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया प्रवास प्रमाण पत्र।

(उन अभ्यर्थियों को लागू होगा जिन्होंने स्नातक परीक्षा एमयूएचएस (MUHS) विद्यापीठ के अलावा अन्य से यूजी उत्तीर्ण किया है।)

12.11 शिक्षण में अन्तराल के छात्र द्वारा एक शपथपत्र जिसे कार्यपालक मैजिस्ट्रेट / नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो(यदि अन्तराल छह महीने से अधिक है।)

12.12 चिकित्सा कर्मी द्वारा, उनकी पंजीकरण संख्या के साथ विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगाया गया हुआ मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र। शारीरिक विकलांगता (पीएच) प्रमाण पत्र(यदि लागू हो)।

12.13 इन-सर्विस कार्मिकों के लिए दस्तावेज (यदि लागू हो)

12.13 क) प्रतिनियुक्ति प्रमाण-पत्र

12.13 ख) अनापत्ति प्रमाण-पत्र

12.13 ग) शिक्षक के लिए संबंधित विषय में विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्रमाण पत्र

12.13 घ) अनुभव प्रमाण-पत्र ।

12.14 एसएससी (या समकक्ष) बोर्ड प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि दर्शाते हुए)।

12.15 प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष की मार्क-शीटें (B.P.Th./ B.O.Th. जैसा कि लागू हो)

नया रक्त रिपोर्ट – हीमोग्राम (क) एमसीवी (ख) एमसीएच (ग) एमसीएचसी (घ) एचबी% (ड) सीबीसी (च) ब्लड ग्रुप

12.17 जिस संस्थान से अभ्यर्थी ने अपनी अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण की है, वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र।

नोट: अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आवश्यक प्रमाण-पत्र समय से पहले प्राप्त कर लें क्योंकि वे विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार अनिवार्य हैं और उन्हें प्रवेश के समय मूल रूप में जमा करना चाहिए। इन्हें जमा करने के लिए कोई विस्तार / छूट नहीं दी जाएगी।

13 प्रवेश परीक्षा की जानकारी :

प्रवेश परीक्षा की योजना:-

13.1 प्रवेश परीक्षा का प्रतिरूप : प्रवेश परीक्षा कुल 100 अंकों की 1 ½ घंटे की अवधि के लिए होगी। हरेक प्रश्न में समान अंक हैं। इसमें कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

13.2 प्रवेश परीक्षा में प्रत्येक स्ट्रीम के लिए 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) रहेंगे, जो स्नातक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले पाठ्य-विवरण पर आधारित होंगे और इसके तीन खंड हैं :

खंड I - चिकित्सा अनुभाग - 50 अंक

खंड II - व्यावसायिक चिकित्सा अनुभाग - 50 अंक

खंड III - फिजियोथेरेपी अनुभाग - 50 अंक

13.3 खंड- I सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है और स्नातक स्तर पर अर्थात बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी / बैचलर ऑफ व्यावसायिक चिकित्सा में पढ़ाए गए मूलतःचिकित्सा विषयों पर प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा।

खंड-II का उत्तर उन अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाएगा जिन्होंने व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर/ व्यावसायिक चिकित्सा पाठ्यक्रम पुनर्वास में फैलोशिप पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया है।

खंड - III का उत्तर उन अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाएगा जिन्होंने फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर/ फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम पुनर्वास में फैलोशिप पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया है।

13.4 प्रत्येक प्रश्न हेतु 4 विकल्प (a), (b), (c) और (d) होंगे, जिनमें से एक सही है। अभ्यर्थियों को प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में सही उत्तर (विकल्प) लिखना होगा। अभ्यर्थियों को उत्तर देने के लिए किसी अन्य प्रणाली का प्रयोग नहीं करना है।

(केवल नीली / काली स्याही का ही प्रयोग करें)।

उदाहरण : 1 + 2 + 3 =

a) 6 b) 5 **a**

c) 7 d) 4

13.5 तीनों खंडों के लिए पाठ्य-विवरण स्नातक स्तर पर आधारित होगा, अर्थात बैचलर ऑफ फिजियोथैरेपी / बैचलर ऑफ व्यावसायिक चिकित्सा का पाठ्य-विवरण, जो महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ (एमयूएचएस) (MUHS), नाशिक की वेबसाइट (MUHS) www.muhs.ac.in पर उपलब्ध है।

13.6 प्रवेश परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए पुनःजाँच / पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। हालांकि, अभ्यर्थी अंकों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा परिणाम की घोषणा के चार दिनों के अंदर 500 /- रुपए के डिमांड ड्राफ्ट को निदेशक, अ.भा.भौ.चि.पु.सं.के नामे (जो मुंबई में देय हो) आवेदन फीस के रुप में एक प्लेन पेपर पर आवेदन के साथ जमा करना होगा।

- प्रवेश परीक्षा की महत्वपूर्ण जानकारी

13.7 प्रवेश परीक्षा की तिथि: 10 जनवरी 2021 (रविवार)

13.8 कुल अंक: 100

13.9 प्रवेश परीक्षा की अवधि: 1 ½ घंटे

13.10 रिपोर्ट करने का समय: सुबह 10.30 बजे

13.11 परीक्षा का समय: 11.00 बजे से 12.30 बजे तक

13.12 प्रवेश परीक्षा का स्थान – अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अभ्यर्थियों को जानकारी के लिए वेबसाइट की जाँच करने का निर्देश दिया गया है। प्रवेश पत्र पर विवरण का उल्लेख किया जाएगा/वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा।

13.13 परीक्षा के दिन प्रवेश पत्र के साथ एक मूल फोटो पहचान का साक्ष्य अपने साथ ले जाना अनिवार्य है।

13.14 परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, कैलक्युलेटर और किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लाने की अनुमति नहीं है।

13.15 मुख्य बुकलेट के साथ अलग से दिये गये पेपर पर गणना / रफ कार्य किया जा सकता है।

13.16 अधिलेखन/ उत्तर को बदलने की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थियों को उत्तर के सही होने की संतुष्टि होने पर ही खाली बॉक्स में उत्तर का अक्षर लिखना चाहिए।

13.17 एक बार लिखे उत्तर में कोई भी बदलाव करने की अनुमति नहीं है। बदले हुए उत्तर को अमान्य / गलत माना जाएगा और उसके लिए कोई भी अंक नहीं दिये जाएंगे।

13.18 प्रवेश परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तिथि संस्थान के नोटिस बोर्ड और संस्थान की वेबसाइट पर 12 जनवरी 2021 को पोस्ट की जाएगी।

13.19 चयनित अभ्यर्थियों की सूची की जानकारी संस्थान की वेबसाइट www.aiipmr.gov.in पर अपलोड की जाएगी।

13.20 अभ्यर्थियों का चयन अस्थायी होगा और अंतिम अर्हता एमयूएचएस (MUHS)), नाशिक द्वारा प्रदान की जाएगी।

13.21 सभी अभ्यर्थियों को एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे मेरिट लिस्ट/ चयनित सूची/ प्रतीक्षा सूची/अनुदेशों / अद्यतित सूचनाओं संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए संस्थान की वेबसाइट/ नोटिस बोर्ड समय –समय पर देखते रहें ।

13.22 अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा के लिए अपने स्वयं के खर्च पर उपस्थित होना होगा और मुंबई में अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

13.23 COVID-19 महामारी को देखते हुए, महाराष्ट्र राज्य और बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई द्वारा जारी उचित दिशानिर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है, इसलिए सभी को पालन किए जाने वाले मानदंडों के बारे में खुद को अपडेट रखने के लिए सूचित किया जाता है।

13.24 उचित फेस मास्क के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और हर समय सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है ।

13.25 अभ्यर्थी के सिवाय किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी कीमत पर परीक्षा स्थल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13.26 बिना प्रवेश पत्र के अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14. फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर (मास्टर) और व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर (मास्टर) पाठ्यक्रमों के लिए फीस:

14.1 फीस संरचना:

क्र सं.	विशिष्टियॉं	राशि (रुपये में)
1	प्रवेश फीस	300/- प्रति वर्ष
2	ट्यूशन फीस	7,500/- प्रति वर्ष
3	सुरक्षा जमा (पाठ्यक्रम की समाप्ति पर ही लौटायी जाएगी। प्रवेश रद्द करने पर राशि जब्त कर ली जाएगी)	1,000/-
4	स्पोर्ट्स क्लब फीस	300/- प्रति वर्ष
5	लाइब्ररी फीस	500/- प्रति वर्ष
6	स्टेशनरी, पहचान -पत्र फीस	300/- प्रति वर्ष
7	लाइब्रेरी जमा (पाठ्यक्रम की समाप्ति पर लाइब्रेरीयन से प्राप्त 'नो ड्युस' प्रमाण-पत्र जमा करने पर ही लौटाया जाएगा)	2,000/-
	कुल	**11,900/-**
9	**विश्वविद्यालय पंजीकरण/ नामांकन/ योग्यता / कोई भी अन्य फीस**	विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार

14 .2 सभी भुगतान डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के रूप में 'निदेशक, अ. भा.भौ चि पु.संस्थान' के नामे (जो मुंबई में देय हो) किए जाने चाहिए। किसी अन्य रूप में भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे डीडी के पीछे की तरफ अपना नाम, पाठ्यक्रम का नाम और संपर्क नंबर लिखें।

14.3 क्रम संख्या 14.1 में उल्लिखित 100% फीस (अर्थात रु. 11,900 / -) का भुगतान प्रवेश के समय करना है। (अंतिम तिथि की घोषणा विश्वविद्यालय / डी.एम.ई.आर. महाराष्ट्र सरकार द्वारा की जाएगी)

14.4 प्रवेश के बाद छात्र छात्रवृत्ति के लिए, लागू अनुसार mahadbt पोर्टल, nsp, डीएमइआर (DMER) आदि पर आवेदन कर सकते है।

14.5 अभ्यर्थियों को फीस की पावती की मूल प्रति के साथ, पाठ्यक्रम की समाप्ति के तुरंत बाद जमा राशियों को वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करना है अन्यथा उन राशियों को जब्त कर लिया जाएगा।

15. फिजियोथेरेपी पुनर्वास में फैलोशिप पाठ्यक्रम और व्यावसायिक चिकित्सा पुनर्वास में फेलोशिप पाठ्यक्रम के लिए फीस:

15.**1 फीस संरचना: विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, पिछले शैक्षणिक वर्ष के अनुसार:-**

क्र सं.	**विशिष्टियॉं**	**राशि (रुपये में)**
1	प्रवेश फीस	300/-
2	ट्यूशन फीस/ विश्वविद्यालय फीस	75,000/-
3	सुरक्षा जमा (पाठ्यक्रम की समाप्ति पर ही लौटायी जाएगी। प्रवेश रद्द करने पर राशि जब्त कर ली जाएगी)	1,000/-
4	स्पोर्ट्स क्लब फीस	300/-
5	लाइब्ररी फीस	500/-
6	स्टेशनरी, पहचान - पत्र फीस	300/-
7	लाइब्रेरी जमा (आवेदन के साथ लाइब्रेरीयन से प्राप्त 'नो ड्युस' प्रमाण- पत्र जमा करने पर ही लौटाया जाएगा)	2,000/-
कुल		**79,400/-**
8	विश्वविद्यालय पंजीकरण/ नामांकन/ योग्यता / परीक्षा कोई भी अन्य फीस	विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार

नोट: अभ्यर्थियों को फीस की पावती की मूल प्रति के साथ, पाठ्यक्रम की समाप्ति के तुरंत बाद जमा राशियों को वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करना है अन्यथा उन राशियों को जब्त कर लिया जाएगा।

फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर (मास्टर) / व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर (मास्टर) पाठ्यक्रम / फिजियोथेरेपी पुनर्वास में फैलोशिप पाठ्यक्रम/व्यावसायिक चिकित्सा पुनर्वास में फेलोशिप पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश को रद्द करना:

16 .1 अगर अभ्यर्थी अंतिम तिथि (जो एमयूएचएस, नाशिक / डीएमइआर, महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित की गई है) के पहले अपना प्रवेश रद्द करता है तो 1000/- रुपये (केवल एक हजार रुपये)की जमा राशि प्रशासनिक व्यय के रूप में जब्त की जाएगी और बाकी की राशि लौटा दी जाएगी।

16 .2 अगर छात्र प्रवेश की अंतिम तिथि (विश्वविद्यालय, D.M.E.R , महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित की गई) के बाद अपना प्रवेश रद्द करता है तो भुगतान की गई फीस की पूरी राशि सहित जमा राशि जब्त की जाएगी। यह सभी अभ्यर्थियों के लिए है, अर्थात् अखिल भारतीय कोटा के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य कोटा (DMER द्वारा चयनित) के तहत प्रवेशित अभ्यर्थियों के लिए है।

16.3 अभ्यर्थी के आवेदन के साथ लाइब्रेरियन / छात्रावास वार्डन / विभागाध्यक्ष द्वारा जारी 'बेबाकी प्रमाणपत्र' (नो-ड्यूस 'प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करने पर प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

16.4 **बॉन्ड का जमा करना**

एम पी टी /एम ओ टी/ एफ सी आर पी टी/एफ सी आर ओ टी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेशित अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम की समाप्ति हेतु रुपए 100000/- (केवल रु. एक लाख) की राशि का बॉन्ड जमा करना आवश्यक है, जो नोटरी के साथ 100/- रूपये के स्टैम्प पेपर पर बनाया होना चाहिए। ऐसा न करने पर उसे 100000/- रुपए (केवल एक लाख रुपए) की राशि पाठ्यक्रम पुरा न करने के लिए जमा करनी होगी। यह एमयूएचएस, नाशिक/ डीएमइआर (DMER)/ महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित अंतिम तिथि के बाद लागू होगा। (उपरोक्त क्रमांक 16.2 में राशि के अतिरिक्त उल्लेख किया गया है)

17 **छात्रावास:**

17.1 संस्थान में बहुत सीमित छात्रावास सुविधा है। यदि छात्रावास में रिक्ति मौजूद है, तो संस्थान प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, छात्रावास समिति द्वारा आबंटन किया जाएगा। जगह की कमी के कारण, छात्रों को शयनशाला के प्रकार का लाभ उठाना होगा। छात्रों को अपनी व्यवस्था करने की स्वतंत्रता हैं क्योंकि संस्थान के अधिकारी छात्रावास में रहने के लिए अनिवार्य रुप से जोर नहीं देते हैं।

17.2 इस शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में ज्वलंत महामारी को देखते हुए , सभी पाठ्यक्रमों के नए प्रवेशित छात्राओं के लिए छात्रावास सुविधा संस्थान में उपलब्ध नहीं है।

18 व्यवहार और अनुशासन::

18.1 आवेदन फार्म में पूर्ण रुप से और सही जानकारी अभ्यर्थी द्वारा न देने पर और / या किसी जानकारी को न देने / छुपाने पर अभ्यर्थी को किसी भी समय पाठ्यक्रम के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

18.2 परीक्षा हॉल में किसी भी अनुचित साधनों का प्रयोग या कैसे भी अनाचार में शामिल होना यथावत निषिद्ध है।

18.3 किसी प्रकार की रैगिंग निषिद्ध है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निदेश संख्या 2009 की सिविल अपील संख्या 887 के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। अगर छात्र रैगिंग करते हुए पाया जाता है तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा।

18.4 उपर्युक्त के अलावा किसी भी अन्य मामले में, संस्थान के अधिकारियों का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

18.5 प्रवेश प्रक्रिया में उठने वाला कोई भी विवाद केवल मुंबई उच्च न्यायालय के कानूनी न्यायिक क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

18.6 प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को यूजीसी वेब पोर्टल www.antiragging.in पर एक अंडरटेकिंग जमा करनी होगी।

फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर और व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर के बारे में जानकारी:-

19 उपलब्ध सीटों की संख्या:

19.1 **फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर के लिए अखिल भारतीय कोटा के अंतर्गत : 3 (तीन) सीटें**

संस्थान को कुल छह सीटें अंतर्ग्रहित करने की क्षमता है, जिसमें से 3 (तीन) सीटें उन अभ्यर्थियों को लिए हैं, जिन्होंने भारत में कहीं से भी फिजियोथेरेपी में स्नातक पास कर चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, इस संस्थान द्वारा संचालित किए जानेवाले प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।

शेष 3 (तीन) सीटें महाराष्ट्र के अभ्यर्थियों के लिए हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों से फिजियोथेरेपी की स्नातक डिग्री पास की है, जिनका चयन वैद्यकीय शिक्षण और संशोधन निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा द्वारा किया जाएगा।

19.2 **'अखिल भारतीय कोटा' के तहत व्यावसायिक चिकित्सा पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर के लिए: 1 (एक) सीट**

संस्थान को विश्वविद्यालय द्वारा दो सीटों की अनुमति दी गई है जिसमें से 1 (एक) सीट उन अभ्यर्थियों के लिए हैं जिन्होंने भारत में कहीं से भी व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातक पास कर चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, इस संस्थान द्वारा संचालित किए जानेवाले प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। शेष 1(एक) सीट महाराष्ट्र के अभ्यर्थियों के लिए है, जिन्होंने महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों से व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातक पास किया हैं, जिनका चयन वैद्यकीय शिक्षण और संशोधन-निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।

20. शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर हेतु 'अखिल भारतीय कोटा' के तहत चयनित 3 (तीन) सीटों का आबंटन, इस संस्थान द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा के मेरिट के आधार पर किया जाएगा और निम्नानुसार होगा:

20.1 सभी तीन सीटें न्यूरोफिज़ियोथेरेपी में एमपीटी के लिए होगी

सीटों की संख्या	**श्रेणी**	विशेषता
दोन अनारक्षित सीटें (पी एच)+1 अनारक्षित	सामान्य	न्यूरोफ़िज़ियोथेरेपी में एमपीटी
एक	ओबीसी	न्यूरोफ़िज़ियोथेरेपी में एमपीटी

21. शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए व्यावसायिक चिकित्सा पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर हेतु 'अखिल भारतीय कोटा' के तहत चयनित 1 (एक) सीट का आबंटन, इस संस्थान द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा के मेरिट के आधार पर किया जाएगा और निम्नानुसार होगा:

सीटों की संख्या	**श्रेणी**	विशेषता
एक	सामान्य	विकास विकलांगता में एम ओ टी एच

नोट: भारत सरकार के संस्थानों में सीटों का उपर्युक्त आबंटन पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार है और समय-समय पर संशोधित किया गया है। ओबीसी आरक्षण 'ओबीसी की केंद्रीय सूची' के अनुसार किया जाएगा। उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में, प्रवेश के लिए मानदंड प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों की मेरिट सूची के अनुसार होगा।

21.1 स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के दिनांक 31/1/2019 के ईमेल के अनुदेशों के अनुसार दिनांक 17/1/2019 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12-4/ 2019-U 1 और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 29.1.2019 के कार्यालय ज्ञापन क्रं- V.11025/10/2019-MEP के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि ई. डब्ल्यू.एस. आरक्षण सभी

पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के बाद किया जाएगा ।अगर शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण को लागू करना संभव हुआ तो उसे संस्थान की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।

22. फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर और व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का पाठ्य विवरण एमयूएचएस (MUHS) की वेबसाइट www.muhs.ac.in पर उपलब्ध है।

23. अवधि

व्यावसायिक चिकित्सा पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर - तीन शैक्षणिक वर्ष - पूर्णकालिक पाठ्यक्रम

फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर - दो शैक्षणिक वर्ष - पूर्णकालिक पाठ्यक्रम

क) **फिजियोथेरेपी पुनर्वास में फैलोशिप पाठ्यक्रम (FCRPT)**

ख) व्यावसायिक चिकित्सा पुनर्वास में फैलोशिप पाठ्यक्रम (FCROT) के बारे में जानकारी

24 **उपलब्ध सीटों की संख्या:**

24.1 **'अखिल भारतीय कोटा' के अंतर्गत फिजियोथेरेपी पुनर्वास में फेलोशिप पाठ्यक्रम के लिए: 5 (पांच) सीटें।**

संस्थान को कुल दस सीटें अंतर्ग्रहित करने की क्षमता है, जिसमें से 5(पांच) सीटें उन अभ्यर्थियों के लिए हैं जिन्होंने भारत में कहीं से भी फिजियोथेरेपी में स्नातक पास कर चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, इस संस्थान द्वारा संचालित किए जानेवाले प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।

एमयूएचएस (MUHS) कोटा: शेष 5 (पांच) सीटें महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक द्वारा भरी जानी हैं।

24.2 'अखिल भारतीय कोटा' के अंतर्गत व्यावसायिक चिकित्सा पुनर्वास में फेलोशिप पाठ्यक्रम के लिए: 5(पांच) सीटें

संस्थान को कुल दस सीटें अंतर्ग्रहित करने की क्षमता है जिसमें से 5(पांच) सीटें उन अभ्यर्थियों को लिए हैं जिन्होंने भारत में कहीं से भी व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातक पास कर चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, इस संस्थान द्वारा संचालित किए जानेवाले प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।

एमयूएचएस (MUHS) कोटा: शेष 5 (पांच) सीटें महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक द्वारा भरी जानी हैं।

25. शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए उपरोक्त दोनों पाठ्यक्रमों के लिए 'अखिल भारतीय कोटा' के अंतर्गत चयनित 5 (पांच) सीटों का आबंटन इस संस्थान द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा के मेरिट के आधार पर आबंटित किया जाएगा और निम्नानुसार होगा:

सीट की संख्या	श्रेणी
2	सामान्य
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
1	अनुसूचित जाति (SC)

25.1 **फिजियोथेरेपी पुनर्वास में फेलोशिप पाठ्यक्रम के लिए 5 (पांच) सीटों का आबंटन और व्यावसायिक चिकित्सा पुनर्वास में फेलोशिप पाठ्यक्रम** : भारत सरकार के संस्थानों में पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार और समय-समय पर संशोधित किया जाएगा। अभ्यर्थियों की उपरोक्त निर्दिष्ट श्रेणी की अनुपलब्धता की स्थिति में, प्रवेश के लिए मानदंड प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी अभ्यर्थियों की मेरिट सूची के अनुसार होंगे।

26. फिजियोथेरेपी पुनर्वास में फेलोशिप पाठ्यक्रम और व्यावसायिक चिकित्सा पाठ्यक्रम पुनर्वास में फैलोशिप पाठ्यक्रम का पाठ्य विवरण एमयूएचएस (MUHS) वेबसाइट पर उपलब्ध है, अर्थात् www.muhs.ac.in – पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण - संकाय : चिकित्सा - पाठ्यक्रम का प्रकार : फैलोशिप पृष्ठ सं.10

27. **पाठ्यक्रम की अवधि** - एक वर्ष - एमयूएचएस (MUHS) की अनुसूची के अनुसार तिथि से शुरू होने वाला पूर्णकालिक पाठ्यक्रम।

28 **चयनित अभ्यर्थी को प्रवेश के समय निर्धारित प्रारूप में नीचे दिए गए फॉर्म जमा करने होंगे जो संस्थान की वेबसाइट अर्थात जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट अर्थात www.aiipmr.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं।**

1. 'पाठ्यक्रम में प्रवेश' के लिए आवेदन प्रपत्र।
2. स्टेटस रिटेंशन फॉर्म।
3. 'एंटी रैगिंग' घोषणा फॉर्म।
4. 'पहचान प्रपत्र' के लिए आवेदन प्रपत्र।
5. ' हॉस्टेल में आवास' के लिए आवेदन प्रपत्र।
6. अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से एक हमी पत्र देना होगा जिसमें यह उल्लेखित होगा कि अगर अभ्यर्थी पाठ्यक्रम को छोड़ देता है तो उसको 1,00,000/- रुपये की राशि का भुगतान करना होगा।

29. संस्थान के संपर्क विवरण:

पता: अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान (एआईआईपीएमआर)

हाजी अली, के. खाड़ये मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई – 400 034.

टेलीफोन नं. : 022- 23544341/23544332/23528824/23515765/23545358

शैक्षणिक अनुभाग का विस्तार नं.: 208

फैक्स नंबर: 022- 23542043/23532737 वेबसाइट: www.aiipmr.gov.in

ईमेल: director@aiipmr.gov.in शैक्षणिक अनुभाग की ईमेल आईडी: acad.aiipmr@nic.in

कार्य समय: सुबह 9.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार) 9.00 बजे से 12.30 बजे (शनिवार)

प्रासंगिक संपर्क:

1) महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ

वणी रोड, म्हसरूल, नाशिक-422004.

फोन नंबर: 0253-2539230/ 232, फैक्स नंबर : 0253- 2539231/233

वेबसाइट: www.muhs.ac.in

2) महाराष्ट्र राज्य व्यावसायिक चिकित्सा और फिजियोथेरेपी परिषद

D.M.E.R. कार्यालय, चौथी मंजिल, जी.डी.सी.एच भवन,

सेंट जॉर्ज अस्पताल केम्पस, मुंबई -400001.

संपर्क नंबर : 022-22620408 ई-मेल पता: otptcouncil@gmail.com

कार्यालय समय: सुबह 09:45 से शाम 05:30 तक

मिलने का समय: दोपहर 02.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)

(दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर)

अनुलग्नक –I

व्यावसायिक चिकित्सा / फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम – 2020 के लिए प्रवेश परीक्षा की प्रवेश सूची:-

क्र.सं.	विशिष्टियाँ	तारीखें
1	इंटर्नशिप समाप्त होने की तारीख ------- को या उससे पहले	31/10/ 2020
2	आवेदन फॉर्म और विवरण पत्रिका डाउन लोड करने की आखिरी तारीख और डीडी के साथ आवेदन फॉर्म प्राप्त करने की आखिरी तारीख	20/12/ 2020
3	प्रवेश परीक्षा की तारीख	10/01/ 2021 (रविवार)
	प्रवेश परीक्षा के स्थान पर रिपोर्ट करने का समय	10.30 पूर्वाह्न
	प्रवेश परीक्षा का समय	11.00 से 12.00 बजे तक
4	प्रवेश परीक्षा के परिणाम की तारीख	12/01/ 2020
5	चयनित अभ्यर्थियों की प्रथम सूची के घोषणा की तारीख	बाद में सूचित की जाएगी।

नोट: - पाठ्यक्रमवार चयन सूची, उपरोक्त अनुसूची या महत्वपूर्ण घोषणाओं में से कोई भी संशोधन संस्थान की वेबसाइट (www.aiipmr.gov.in) पर उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को समय-समय पर संस्थान की वेबसाइट पर जाने का निर्देश दिया जाता है।

अनुलग्नक - II

OBC Certificate Format

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS / ADMISSION TO CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (CEIs), UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

This is to certify that Shri / Smt. / Kum*.____________________ Son / Daughter* of Shri / Smt.* ____________________ of Village/Town* ____________________ District/Division* ____________________ in the ____________________ State belongs to the ____________________

community which is recognized as a backward class under:
(i) Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated 10/09/93 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 186 dated 13/09/93.
(ii) Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19/10/94 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 163 dated 20/10/94.
(iii) Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24/05/95 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 88 dated 25/05/95.
(iv) Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 9/03/96.
(v) Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 6/12/96 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 11/12/96.
(vi) Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 03/12/97.
(vii) Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11/12/97.
(viii) Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27/10/99.
(ix) Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 6/12/99 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 270 dated 06/12/99.
(x) Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 04/04/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 71 dated 04/04/2000.
(xi) Resolution No. 12011/44/99-BCC dated 21/09/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 21/09/2000.
(xii) Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated 06/09/2001.
(xiii) Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19/06/2003.
(xiv) Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13/01/2004.
(xv) Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16/01/2006 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 16/01/2006.
(xvi) Resolution No. 12011/14/2004-BCC dated 12/03/2007 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 67 dated 12/03/2007.
(xvii) Resolution No. 12015/2/2007-BCC dated 18/08/2010.
(xviii) Resolution No. 12015/13/2010-BCC dated 08/12/2011.

Shri / Smt. / Kum. ____________________ and / or his family ordinarily reside(s) in the ____________________ District / Division of ____________________ State. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08/09/93 which is modified vide OM No. 36033/3/2004 Estt.(Res.) dated 09/03/2004, further modified vide OM No. 36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 14/10/2008 or the latest notification of the Government of India.

Dated:

District Magistrate /
Deputy Commissioner /
Competent Authority

Seal

* Please delete the word(s) which are not applicable.

NOTE:

(a) The term 'Ordinarily resides' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.
(b) The authorities competent to issue Caste Certificates are indicated below:
(i) District Magistrate / Additional Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector / Ist Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional magistrate / Taluka Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner (not below the rank of Ist Class Stipendiary Magistrate).
(ii) Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.
(iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar and
(iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and / or his family resides.

संलग्नक – III

-- का कार्यालय

जावक क्रः-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　तारीखः-

<u>जिस किसी- से -भी संबंधित हो</u>

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ सुश्री (नाम) ------------------------------- को ---------------------- क्रमांक का जाति प्रमाण पत्र जो --------------- तारीख को तहसीलदार / मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया, वह विधिमान्य है।

आगे, यह बताया जाता है कि -------------------------- राज्य में जाति विधिमान्यता प्रमाण-पत्र को अलग से जारी करने का कोई प्रावधान नहीं हैं।

कार्यालय की मुहर　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　तहसीलदार/ मैजिस्ट्रेट जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

सरासरी तौर पर प्रक्रिया

अभ्यर्थी संस्थान की वेबसाइट www.aiipmr.gov.in से आवेदन फार्म और विवरण पत्रिका डाउनलोड कर सकता है।

↓

डीडी के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन फॉर्म, प्रवेश पत्र और प्रमाण पत्रों को संस्थान के पते पर भेजा जा सकता है या कार्यालयीन समय पर स्वयं जमा किया जा सकता है।

↓

अभ्यर्थी को आवेदन फॉर्म के साथ एडमिट कार्ड (ड्यूप्लिकेट में जैसा फॉर्म में दिया है) जमा करना है।

↓

अभ्यर्थी को संस्थान द्वारा
प्रवेश पत्र भेजा जाएगा जो उसे सीईटी (CET) परीक्षा के समय, मूल फोटो आयडी प्रुफ के साथ उसे भी साथ लाना है।

↓

सीईटी (CET) परीक्षा को बैठना।

↓

मेरिट लिस्ट/ नोटिस को संस्थान की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा और तदनुसार चयनित अभ्यर्थी को स्वयं आकर प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना होगा।

↓

प्रवेश के समय मद संख्या 12 में उल्लिखित सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों के साथ उनकी 2 सेट की फोटोकॉपियाँ भी लानी होंगी।

*** विवरण पत्रिका के हिंदी रूपान्तर में यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो विवरण पत्रिका का अंग्रेजी रूपान्तर ही मान्य समझा जाएगा।**